कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3 / 2020 / 1158 लखनऊ, दिनांक– 10 जुलाई, 2020.

:::: कार्यालय ज्ञाप ::::

इस कार्यालय के आदेश संख्या–एम0ई0–3 / 2020 / 2594–2604, दिनांक–23 मार्च, 2020 के द्वारा कारोना (COVID-19) महामारी के कारण राजकीय एवं निजी मेडिकल कालेजों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0 / ब्री0डी0एस0 पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपने मेडिकल कालेज / संस्थान से ही इन्टर्नशिप प्रशिक्षण कराये जाने के साथ–साथ अन्यत्र जिला चिकित्सालयों / प्रदेश के बाहर इन्टर्नशिप करने हेतु अनापत्ति जारी न किए जाने हेतु आदेश एवं निर्देश जारी किए गये थे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोविड–19 का संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और इसकी रोकथाम हेतु मेडिकल कालेजों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों में चिकित्सकों की बहुत आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को इन्टर्नशिप हेतु अन्य जिला चिकित्सालयों / प्रदेश के बाहर स्थानान्तरित किए जाने हेतु किसी भी दशा में अनापत्ति न जारी किया जाये।

उक्त आदेश का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक